




फर्द अहकाम

मंदिर श्री गोपालजी बनाम रोहिताश वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

मुकदमा नम्बर157...../2025 दावा बाबत बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा

जीसीएमएस संख्या: 2025/405

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31.10.2025	<p>वादी की ओर से यह वादपत्र जरिये अभिभाषक श्री ओमप्रकाश शर्मा ।। के द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी होकर पत्रावली वास्ते तल्बी हेतू दिनांक 20.11.2025 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़) </p>	
	२०/११/२५	<p>पत्रावली पेश की गयी। नतीजा उपस्थित। न्यायालय की प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक 20/11/2025 को सुनवाई।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़) </p>	
	20/01/26	<p>पत्रावली पेश की गयी। नतीजा उपस्थित। न्यायालय की प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक 20/01/26 को सुनवाई।</p> <p>न्यायालय सफर के दौरान बार-बार अवांछित खर्चों के कारण नतीजा उपस्थित नहीं हो पाया है। पत्रावली के माध्यम से न्यायालय को सूचित किया जा रहा है। न्यायालय से कम खर्च का आदेश दिया जा रहा है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़) </p>	